संख्या-29/2026/001-244-83-अव0-2026

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा,
पिकप भवन, लखनऊ।

अवस्थापना विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 24-08-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत यूपीडा की आई0एम0एल0सी0 सम्भल हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्र सं0-1120/यूपीडा/आगरा-लखनऊ/2026 दिनांक 17-08-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत आई0एम0एल0सी0 सम्भल हेतु प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रूपये **4568.70550 लाख** के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए स्वीकृत धनराशि की द्वितीय किश्त की मॉग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-2026/001-53-83-अव0-2026 दिनांक 28-03-2026 द्वारा अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट 600 करोड़ के सापेक्ष आई0एम0एल0सी0 सम्भल हेतु धनराशि रू0 24542.56 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रूपये 4568.70550 लाख** की वित्तीय स्वीकृति यूपीडा के पक्ष में निर्गत की गयी थी।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि रूपये **4568.70550 लाख** के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत आई0एम0एल0सी0 सम्भल हेतु अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्क्चर मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट 2000 करोड़ से निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-5 में द्वितीय किश्त के रूप में अनुमन्य शेष धनराशि **रू0 126,11,08,650.00 (रू0 एक सौ छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख आठ हजार छः सौ पचास मात्र)** की यूपीडा के पक्ष में वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**प्रभाग द्वारा**	**प्रथम किश्त के रूप**	**प्रथम किश्त की**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		आंकलित/अनुमोदित लागत (रू0 लाख में)	में अवमुक्त धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि तथा द्वितीय किश्त की धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
	IMLC सम्भल नोड की स्थापना व विकास हेतु	24542.56	4568.70550	12611.0865

(i) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) आवंटित धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।

(iii) कार्य कराने के पूर्व प्राक्कलनों की स्वीकृति विभाग के कार्यों के लिए लागू सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31-03-2027 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाय तथा जिन वाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाय उसकी सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को भेजी जाय।

(v) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(vii) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का आहरण कर बैंक खातों में नहीं रखा जायेगा।

(viii) प्राधिकरण द्वारा लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्ते् माल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(ix) प्रायोजनान्तार्गत प्रस्ताावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,26,11,08,650 (रुपये एक अरब छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख आठ हजार छह सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 4875608000300 अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
निर्मेष कुमार शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2026/001-244-83-AV-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, अपर मुख्यय सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- निजी सचिव, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- सुपरयूजर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

6- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

10- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।